



सत्यमेव जयते

**THE**  
**JHARKHAND GAZETTE**  
**EXTRAORDINARY**  
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

---

12 Jyeshth, 1942 (S)

No. 229

Ranchi, Tuesday, 2<sup>nd</sup> June, 2020

---

**COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT**

-----  
**NOTIFICATION**  
**2<sup>nd</sup> June, 2020**

**Notification No. 03/2020-State Tax (Rate)**

**S.O No. 24 dated, 2<sup>nd</sup> June, 2020** -- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department 1/2017- State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 31, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) in Schedule I – 2.5%, serial number 187 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) in Schedule II - 6%,-

(i) after serial number 75 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :-

"75A.	3605 00 10	All goods";
-------	------------	-------------

(ii) serial numbers 202 and 203 and the entries relating thereto shall be omitted;

(c) in Schedule III - 9%,-

- (i) serial number 73 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) in serial number 379, for the entry in column (3), the entry "All goods" shall be substituted;

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2020.

[File No.VaKar/GST/02/2020]

By the order of the Governor of Jharkhand,

**Vandana Dadel**

Secretary, Commercial Taxes Department

**Note:** - The principal notification No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No.31, dated the 29<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended by notification No. 01/2020- State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand Extraordinary, vide S.O. No.21 dated the 19<sup>th</sup> May, 2020

## वाणिज्य-कर विभाग

-----

### अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 03-2020/ राज्य कर (दर)

**एस.ओ. सं.-24 दिनांक 2 जून, 2020--** झारखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम,(12 का 2017) 2017 की धारा 9 की उपधारा (1)और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये झारखंड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुये कि ऐसा कारण जनहित में आवश्यक है, और जी एस टी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, झारखंड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या -2017/1 राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून,2017 , जिसे एस.ओ. सं. 31, दिनांक 29 जून, की तहत 2017 झारखंड सरकार के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में-

क अनुसूची .I %2.5 -में,क्रम सं187 .तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ख अनुसूची .II - 6-,में%

- (i) क्रम सं . 75 और इसमें दी गयी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं और प्रविष्टियों को . अंतः  
-यथा: ,स्थापित किया जायेगा

“75अ	3605 00 10	सभी माल”;
------	------------	-----------

- (ii) क्रम सं . 202 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;  
 (iii) क्रम सं . 203 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;  
 ग अनुसूची .III - 9% में,-

- (i) क्रम सं . 73 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;  
 (ii) क्रम सं. 379 में की प्रविष्टि (3) कॉलम ,के स्थान पर, प्रविष्टि “सभी माल को प्रतिस्थापित “  
 किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 01अप्रैल, 2020 से लागू होगी

[सं.सं.वांकर/जी०एस०टी०/22020/  
 झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

**वंदना दादेल**

सचिव, वाणिज्य-कर विभाग

**नोट:** प्रधान अधिसूचना सं.1/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 29 जून, 2017 को एस.ओ. सं.31, दिनांक 29 जून, की तहत 2017 झारखंड सरकार के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 01/2020- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, एस.ओ. सं. 21, दिनांक 19 मई, 2020 की तहत झारखंड सरकार के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

-----